रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96 REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 1997/पौष 24, 1918
No. 31] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 1997/PAUSA 24, 1918

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 1997

प्रलेख सं. सीडी-31/97

का. आ. 39(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (234वां संशोधन) नियम, 1997 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "रक्षा मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "क. रक्षा विभाग" उप शीर्षक के नीचे,—

(i) प्रविष्टि 4 और 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"4. प्रादेशिक थलसेना।

5. राष्ट्रीय कैडेट कोर।";

(ii) प्रविष्टि 17 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"18. देश में गोताखोरी और सम्बद्ध क्रियाकलापों से संबंधित मामले।";

(ख) "उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उपशीर्षक "घ. लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग", के नीचे, प्रविष्टि 5 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"6. प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी विनिर्दिष्ट योजनाओं के अधीन रोजगार सृजित करने के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को बढ़ावा।";

(ग) "संसदीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 18 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"19. सम्पूर्ण देश में विद्यालयों/महाविद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

20. अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन का आयोजन।

21. लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियम के नियम 377 के अधीन तथा राज्य सभा में विशेष उल्लेखों के माध्यम से उठाए जाने वाले मामलों के संबंध में नीति का अवधारण और अनुवर्ती कार्रवाई।

22. मंत्रालयों/विभागों में संसदीय कार्य करने संबंधी निर्देशिका।";

(घ) "योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. सांख्यिकी विभाग" उप शीर्षक के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास की योजना बनाने के लिए एक केन्द्रीय (नोडल) अभिकरण के रूप में कार्य करना।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकी ब्यूरो (एस एस बी) के सांख्यिकी या आंकड़ों की उपलब्धता की अतारतम्यता या उनकी पुनरावृत्ति का पता लगाने की दृष्टि से सांख्यिकी कार्य में समन्वय करना तथा आवश्यक उपचारात्मक उपाय सुझाना।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में आंकड़ों के, जिसमें उनका संग्रहण, प्रसंस्करण की संरचना और परिभाषाएं, कार्य प्रणाली और परिणामों का प्रसार भी है, सन्नियमों तथा मानकों को अधिकथित करना और उनका अनुरक्षण।

4. भारत सरकार के विभागों को सांख्यिकीय पद्धति और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में सलाह देना।

5. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी/निजी अन्तिम खपत व्यय, पूंजी निर्माण, बचत, पूंजीगत स्टाक का प्राक्कलन और नियत पूंजी की खपत तथा ऊपर क्षेत्रीय (सुपरा-रीजनल) सैक्टरों के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण के भी राष्ट्रीय प्राक्कलन प्रकाशित करना तथा चालू कीमतों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनात्मक प्राक्कलन तैयार करना।

6. "तुरंत प्राक्कलन" के रूप में प्रतिमास औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संकलित करना और जारी करना, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण करना, और संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) सैक्टरों की वृद्धि की संरचना और ढांचे में परिवर्तनों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराना।

7. अखिल भारतीय कालिक आर्थिक संगणना करना और नमूना सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

8. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवासन परिस्थितियां और पर्यावरण, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण आदि जैसे विविध सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न संख्या समूहों के लाभ के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव के अध्ययनार्थ आवश्यक डाटा बेस सृजित करने के लिए बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय नमूना सर्वेक्षणों का संचालन करना।

9. सर्वेक्षण रिपोर्टों की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण साध्यता अध्ययनों/तकनीकी विश्लेषणात्मक अध्ययनों सहित, उपयुक्त नमूना अभिकल्प का मूल्यांकन करना।

10. विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा संग्रहित आंकड़ों पर आगामी कार्रवाई के लिए स्व-सुविधा उपलब्ध कराना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संचालित आर्थिक संगणना के सर्वेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।

11. सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी डाटा प्रयोगकर्ताओं/अभिकरणों के अनेक नियमित/तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना, और संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों जैसे यू एन एस ओ, ई एस सी ए पी (एस्केप), आई एल ओ आदि एवं अन्य सुसंगत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों को, उनके अनुरोध पर, डाटा प्रसारित करना।

12. विशेष अध्ययन/सर्वेक्षण, सांख्यिकीय रिपोर्टों का मुद्रण और शासकीय सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित वित्त संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन करने के लिए प्रख्यात रजिस्ट्रीकृत गैर-सरकारी संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को सहायता अनुदान देना।

13. एक संवर्ग प्राधिकरण के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रबन्धन, जिसमें प्रशिक्षण, व्यवसाय आयोजना और जनशक्ति आयोजना से संबंधित सभी मामले हैं, के मुख्य पहलुओं की बाबत कार्य करना।

14. भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करना और भारतीय मानक संस्थान अधिनियम, 1959 के उपबन्धों के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना।";

(ङ) "रेल मंत्रालय", "रेल बोर्ड" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. गैर-सरकारी रेलें—वहां तक वे विषय जहां तक उनके लिए रेल अधिनियम, 1989 में या सरकार और इन रेलों के बीच संविदाओं में या किन्हीं अन्य कानूनी अधिनियमितियों में, अर्थात् सुरक्षा, अधिकतम और न्यूनतम दरों और भाड़ा इत्यादि विषयक विनियमों में, यह उपबंध किया गया है कि उनका नियंत्रण रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) करेगा।";

(च) "शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "ख. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग" उपशीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5. शहरी रोजगार और शहरी गरीबी उपशमन से संबंधित विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों जैसे नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), गरीबों के लिए शहरी मूल सुविधाएं (यू बी एस पी), और प्रधानमंत्री का एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) तथा समय-समय पर बनाए गए अन्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।"।

(शंकर दयाल शर्मा)
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/96-मंत्रिमण्डल]
एस. के. मिश्र, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 1997

Doc. CD-31/97.

S.O. 39(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and thirty fourth Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,- –

(A) under the heading "MINISTRY OF DEFENCE (RAKSHA MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF DEFENCE (RAKSHA VIBHAG)",—

(i) for entries 4 and 5, the following entries shall be substituted, namely :—

"4. The Territorial Army.

5. The National Cadet Corps.";

(ii) after entry 17, the following entry shall be added, namely :—

"18. Matters relating to diving and related activities in the country.";

(B) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading "D. DEPARTMENT OF SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES (LAGHU UDYOG AND KRISHI EVAM GRAMEEN UDYOG VIBHAG)", after entry 5, the following entry shall be added, namely :—

"6. Promotion of micro and small enterprises for employment creation under specific schemes such as the Prime Minister's Rozgar Yojana (PMRY).";

(C) under the heading "MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA MANTRALAYA)", after entry 18, the following entries shall be added, namely :—

"19. Organisation of Youth Parliament Competitions in Schools/Colleges throughout the country,

20. Organisation of All India Whips' Conference.

21. Determination of Policy and follow-up action in regard to matters raised under Rule 377 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha and by way of Special Mentions in Rajya Sabha.

22. Manual for Handling Parliamentary work in Ministries/Departments.";

(D) under the heading "MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (YOJANA AUR KARYAKRAM KARYANVAYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF STATISTICS (SANKHYIKI VIBHAG)", for existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

"1. Act as the nodal agency for planning integrated development of the statistical system in the country.

2. Coordination of statistical work with a view to identifying gaps in data availability or duplication of statistical work in respect of Departments of the Government of India and State Statistical Bureaux (SSBs) and to suggest necessary remedial measures.

3. Laying down and maintenance of norms and standards, in the field of statistics, involving concepts and definitions, methodology of data collection, processing of data and dissemination of results.

4. Advise the Departments of the Government of India on statistical methodology and on statistical analysis of data.

5. Preparation of national and regional accounts as well as publication of annual estimates of national product, Government and Private final consumption expenditure, capital formation, saving, estimates of capital stock and consumption of fixed capital, as also state level gross capital formation of supra-regional sectors, and to prepare comparable estimates of State Domestic Product (SDP) at current prices.

6. Compilation and release of the Index of Industrial Production (IIP) every month in the form of 'quick estimates'; conducting of Annual Survey of Industries (ASI); and, providing of statistical information to assess and evaluate the changes in the growth, composition and structure of the organised manufacturing (factories) sector.

7. Organisation and conduct of periodic all India economic census and follow-up sample surveys.

8. Conducting of large scale all-India sample surveys for creating data base needed for studying the impact of specific problems for the benefit of different population groups in diverse socio-economic areas such as employment, consumer expenditure, housing conditions and environment, literacy levels, health, nutrition, family welfare, etc.

9. Examination of the survey reports from technical angle and evaluation of appropriate sampling design including survey feasibility studies techno-analytical studies in respect of surveys conducted by the National Sample Survey Organisation (NSSO) and other Central Ministries and Departments.

10. Providing of an in-house facility to process data collected through various socio-economic surveys and follow-up surveys of Economic Census conducted by the National Sample Survey Organisation and the Central Statistical Organisation.

11. Dissemination of statistical information on various aspects through a number of regular or adhoc publications to Government, semi-Government, or private data user/agencies; and dissemination of data, on request, to United Nations Agencies like United Nations School Organisation, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and International Labour Organisation; and other relevant international agencies.

12. Giving grants-in-aid to registered non-governmental organisations and research institutions of repute for undertaking special studies or surveys, printing of statistical reports, and finance seminar, workshop, or conference relating to different subject areas of official statistics.

13. Functioning as the Cadre Controlling Authority and deal with the centralised aspects of managing the Indian Statistical Service including all matters pertaining to training, career planning and manpower planning.

14. The Indian Statistical Institute and ensuring its functioning in accordance with the provisions of the Indian Statistical Institute Act, 1959 (57 of 1959).";

(E) under the heading "MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA) RAILWAY BOARD (RAIL BOARD)", for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Non-Government Railways—Matters in so far as provision for control by the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), Railway Board (Rail Board) as provided in the Railways Act, 1989 (24 of 1989) or in the contract between the Government and the Railways, or in, any other statutory enactments, namely, regulations in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, etc.";

(F) under the heading "MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHAHARI KARYA AUR ROZGAR MANTRALAYA)", under sub-heading "B. DEPARTMENT OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATON (SHAHARI ROZGAR AUR GARIBI UPSHAMAN VIBKAG)", for entry 5, the following entry shall be substituted, namely :—

"5. Implementation of the specific programmes of Urban Employment and Urban Poverty Alleviation, such as Nehru Rozgar Yojana (NRY), Urban Basic Services for the Poor (UBSP), and Prime Minister's Integrated Urban Poverty Eradication Programme (PMI UPEP), and other programmes evolved from time to time.".

(SHANKER DAYAL SHARMA)
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/96-Cab.]
S.K. MISRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997